प्र०सं० 41/19 वंद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/9/19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। ~~अवकाश पर है~~ / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27/9/19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
27/9/19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 18/10/19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
18.10.19	पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थी उपस्थित, पैरोकार सरकार विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है. उभयपक्षो की बहस सुनी गयी. वकील प्रार्थी बहस के दौरान प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रा०पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की जब कि पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल मे स्थित होकर रामपाल पिता श्री तुलसीराम गाडरी साकिन देह के नाम [illegible] दर्ज है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व [illegible] की नकल सम्वत 2071-2074 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेज एव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम रामपाल न होकर रामलाल है जिसकी ताईद परिवार का राशनकार्ड की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति व खाता सं. 5137 की जमाबंदी की फोटो प्रति से होती है। उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 14:45:52 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर अफसर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकर्ड मे भिन्नता नही हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रा पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के आराजी नं० 5137/24 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र श्री तुलसी राम गाडरी के बजाय श्रामलाल पुत्र श्री तुलसी राम गाडरी अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 14:45:52 IST
Reason: SelfAttested